

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

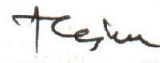
क्रमांक:- एफ.4(ई)/आर-770/2013/अलेसे-III/108

दिनांक :- 15/02/21

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम सं. 06 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए एवं कॉलम सं. 05 में अंकित चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1(1) वित्त (नियम) /2007 दिनांक 06.08.2018 के अनुसरण में नियमित करते हुए तथा कॉलम सं. 07 में अंकित कर्तव्य अवधि सहित कॉलम संख्या 8 में अंकित अवधि के वेतन आहरण की कॉलम सं. 09 में अंकित विभाग/कार्यालय से करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम/पद नाम (क. लेखाकार)	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि			कर्तव्य अवधि	वेतन आहरण की अवधि	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12061	श्री रामलाल सैनी	आदेशों की कुल प्रतीक्षा अवधि	चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (आचार संहिता की अवधि को घटाते हुए)	दिनांक 01.10.2019 से 02.10.2019	दिनांक 01.10.2019 से 25.10.2019	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर।
			दिनांक 03.10.2019 से 25.10.2019	दिनांक 03.10.2019 से 24.10.2019	दिनांक 25.10.2019			


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/आर-770/2013/अलेसे-III/108

दिनांक :- 15/02/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक के गत भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतन भुगतान आपके कार्यालय में क0लेखाकार के रिक्त पद के विरुद्ध कराने की व्यवस्था करावें।
- जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, नागौर।
- श्री रामलाल सैनी, कनिष्ठ लेखाकार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नागौर।
- निजी सचिव निदेशक महोदय।
- उप निदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
- पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)